



2026:AHC:15919

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1914 सन् 2026

सत्येंद्र और 6 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:

"प्रतिवादी संख्या अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) आजमगढ़, मंडल आजमगढ़ को निर्देश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को दायर स्थगन याचिका पर निर्णय लें। पुनरीक्षण संख्या 82-बी/2024, क्रमांक 202415000002294, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या (सत्येंद्र और अन्य बनाम शैलेंद्र और अन्य), धारा 210 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, मौजा कावलपुरा परगना खारिद, तहसील बंसडीह, जिला बलिया। निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पर निर्णय लिया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपरोक्त याचिका के निपटारे तक, विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।"

2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका के साथ, याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतरिम राहत के लिए स्थगन याचिका भी दायर की गई है, जो पिछले एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त अपील में 12.12.2025 को शीघ्र सुनवाई के लिए एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 कम से कम स्थगन आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ या जिसके समक्ष यह लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वह स्थगन आवेदन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय ले, लेकिन सभी आवश्यक पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन